Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding resolution of water disputes between Rajasthan and other States.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मं जी का राजस्थान राज्य के लंबित जल विवादों के शीघ्र निस्तारण करने की मांग की तरफ आकर्षित करते हु यह बताना चाहता हूँ कि 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों के मध्य हु रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था और इसके अनुसार राव व्यास नदियों के आधिक्य जल में से कुल उपलब्ध 17.17 एम.ए.एफ. में से राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था और उसके बाद पंजाब सरकार उक्त समझौते के विरूद्ध पंजा समझौता समाप्ति अधिनियम 2014 लेकर आई तब उसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पी ने राय देकर पूर्व में समझौते को सही ठहराया साथ ही राजस्थान को यमुना बेसिन राज्यों यथा हिमाच राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के मध्य दिनांक 12.05.1994 को हुए समझौ के तहत 1.119 बीसीएम यमुना जल का आवंटन हुआ था। इस मामले में ताजेवाला हैड से राजस्थान व उसके हिस्से का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है।

साथ ही भरतपुर जिले में भी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्य में अनधिकृत दोहन से यमुना का पू पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही हरिके बैराज पर स्थित इंदिरा गांधी फीडर के हैड वर्क्स रेगुलेटर व क्षमता 15,000 क्यूसेक से 18,500 क्यूसेक बढ़ाये जाने हेतु भी भारत सरकार के माध्यम से पंजाब सरकार व निर्देश देना अपेक्षित है ताकि बाढ़ जल की क्षति को रोका जा सके और वो पानी राजस्थान की जनता के का आ सके।

भारत सरकार को राजस्थान की विस्तृत भौगोलिक स्थिति व मरूस्थल को देखते हुए राजस्थान लंबित जल विवादों का जल्द से जल्द निस्तारण करने की जरूरत है ताकि राजस्थान में पानी की कमी काप हद तक दूर की जा सके। इसके लिए केन्द्र को संबंधित राज्यों के साथ भी बैठक करके जल्द निर्णय ले पड़ेगा। अन्यथा वर्षों से लंबित ऐसे मामलों के कारण राजस्थान को उसके हक व हिस्से का पानी उपलब्ध न हो पाएगा।